भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4364

18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

जन पोषण केंद्र और जन औषधि प्रकल्प

4364. श्री जगदीश शट्टर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं का व्यवसाय सुचारू बनाने और उनकी आय को स्थायी करने के लिए जन पोषण केंद्र, जन औषधि प्रकल्प इत्यादि जैसी योजनाओं को शामिल किए जाने हेतु कोई उपाय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आम जनता को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर चावल और गेहूं खरीदने में सहायता करने हेतु खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत चावल और गेहूं की बिक्री करने संबंधी कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ मिलकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन कौशल प्रदान किए हैं। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन एवं बुनियादी पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है।

अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों में लगभग 325 एफपीएस डीलरों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस आउटलेट जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है।

...2/-

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, देश भर में जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक विशेष केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आती है।

सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए फ्रैंचाइज़ मॉडल अपनाया है जिसके तहत व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास डी. फार्मा या बी. फार्मा की योग्यता है, चाहे वह स्वयं हो या कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसने संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फार्मासिस्ट के रूप में ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त किया हो, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र है।

(ग) और (घ): खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस(डी)] के तहत गेहूं और चावल विभिन्न श्रेणियों में बेचे जाते हैं। आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ओएमएसएस(डी) के तहत भारत आटा और भारत चावल की शुरुआत की गई। ये वस्तुएं केंद्रीय सहकारी संगठनों, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार द्वारा अपने स्वयं के स्टोर/मोबाइल वैन और/या ई-कॉमर्स/बड़े खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ही आम जनता को बेची जाती हैं।
